प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

राजस्थान (राज्य) के (09) भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्रीमती संजना जाटव

ग्राम व पोस्ट समूँची तहसील - कठूमर जिला अलवर (राज.)

जो इंडियन नेशनल कोँग्रेस द्वारा खड़ी की गई हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं।

स्थान : भरतपुर

तारीख: 04.06.2024

(डॉ. अमित यादव) रिटर्निंग अधिकारी (09) भरतपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट) भरतपुर

(डॉ. अमित यादव) रिटनिंग आफिसर (०९)भरतपुर (अ. जा.)संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट) भरतपुर

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the House of the People from the (09) Bharatpur Parliamentary Constituency in the Rajasthan (State).

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Smt. SANJNA JATAV

Village & Post - Samoochi, Tehsil Kathumar, District-Alwar (Raj.)

sponsored by Indian National Congress has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Bharatpur

Date: 04.06.2024

2

(Dr. Amit Yadav)
Returning Officer
09- Bharatpur (S.C.) Parliamentary Constituency
(District Collector and District Magistrate)
Bharatpur

(Dr. Amit Yadav)
Returning Officer
(09)Bharatour (S.C.)Parliamentary Senstituency
(District Cellector and District Magistrate)
Bharatour